दिनांक 18.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 29/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद इटावा/थाना इकदिल

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 53 मोबाइल फोन**
- **चोरी की सोने का हार**
- **चोरी के मोबाइल बेचकर अर्जित धन 15 लाख 68 हजार 280 रूपये नगद**
- **01 वाई–फाई डोंगल आदि बरामद**

दिनॉकः 18.01.2025 को थाना इकदिल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्वालियर बाईपास पर स्थित गौशाला के पास से 04 अभियुक्तों 1–अमित कुमार 2–अतुल 3–विकास पुत्र सुनील कुमार 4–विकास पुत्र राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 53 मोबाइल फोन, चोरी की सोने का हार, चोरी के मोबाइल बेचकर अर्जित धन 15 लाख 68 हजार 280 रूपये नगद, 01 वाई–फाई डोंगल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना इकदिल पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन, आभूषण, रूपये आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना इकदिल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित कुमार निवासी तिलका मांझी जगदीशपुर थाना बरारी जनपद भागलपुर, बिहार।

2–अतुल निवासी अकराबाद थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

3–विकास पुत्र सुनील कुमार निवासी लोहगढ़ थाना अतरौली जनपद अलीगढ़।

4–विकास पुत्र राजेन्द्र निवासी बाबूराम बजन की गली भिवाड़ी थाना भिवाड़ी जनपद भिवाड़ी हरियाणा हालपता–शकूरपुर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास थाना शकूरपुर, नई दिल्ली।

बरामदगी

1–चोरी के 53 मोबाइल फोन।

2–चोरी की सोने का हार।

3–चोरी के मोबाइल बेचकर अर्जित धन 15 लाख 68 हजार 280 रूपये नगद।

4–01 वाई–फाई डोंगल आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना भोगांव

- **05 अभियक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **6350/–रूपये**
- **03 मोबाइल फोन**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 18.01.2025 को थाना भोगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीटी रोड पर ग्राम धुबिया को जाने वाले रास्ते के मोड़ पर बने यात्री शेड से 05अभियुक्तों 1–दिनेश 2–बन्टी 3–अंकित 4–गौरव 5–सुमित को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 6350/–रूपये, 03 मोबाइल फोन, चोरी करने के उपकरण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना भोगांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भोगांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर, जीआरपी आगरा, जनपद मैनपुरी, उन्नाव के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त बन्टी के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, हापुड़ के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन व अभियुक्त अंकित, गौरव व सुमित के विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों पर चोरी आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भोगांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दिनेश निवासी मोहल्ला दानशाही बझेडा कलां थाना धौलाना जनपद हापुड़।

2–बन्टी निवासी ढवारसी मोहदीनपुर थाना मसूरी, गाजियाबाद।

3–अंकित निवासी ढवारसी मोहदीनपुर थाना मसूरी, गाजियाबाद।

4–गौरव निवासी जादोपुर थाना पिलखुआ, गाजियाबाद।

5–सुमित निवासी जादोपुर थाना पिलखुआ, गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–6350/–रूपये।

3–03 मोबाइल फोन।

4–चोरी करने के उपकरण।

5–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद इटावा/थाना वैदपुरा

- **पुलिस कार्यवाही में 05–05 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 18.01.2025 को थाना वैदपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छिमारा तिराहा से पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–पप्पू उर्फ सरताज 2–शकील 3–दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना वैदपुरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 05–05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद इटावा के थाना वैदपुरा पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पप्पू उर्फ सरताज निवासी ग्राम दईपुर भवानीपुर थाना चोलापुर, वाराणसी।

2–शकील निवासी धरसोना थाना चोलापुर, वाराणसी हालपता–ग्राम दईपुर भवानीपुर थाना चोलापुर, वाराणसी।

3–दीपक निवासी ग्राम महदा थाना चोलापुर, वाराणसी।

बरामदगी

1–02 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 01 मोबाइल फोन।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना पड़री

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **लगभग 30 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के चोरी की अष्टधातु की मूर्तियां**
- **आभूषण (पीली धातु) के**
- **घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन बरामद**

दिनॉकः 18.01.2025 को थाना पड़री पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–वंशीदास उर्फ बृजमोहन 2–लवकुश 3–मुकेश कुमार 4–रामबहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के चोरी की अष्टधातु की मूर्तियां, आभूषण (पीली धातु) के, घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना पड़री क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पड़री पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो ंसे बरामद मूर्तियां आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पड़री पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—वंशीदास उर्फ बृजमोहन निवासी दसोपुर थाना कोईरौना जनपद भदोही।

2—लवकुश निवासी दसोपुरडीह थाना कोईरौना जनपद भदोही।

3—मुकेश कुमार निवासी पूरे नान्हा शुक्ल थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

4—रामबहादुर निवासी डुबकी खुर्द जुड़ईपुर थाना हण्डिया, प्रयागराज।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 30 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के चोरी की अष्टधातु की मूर्तियां ।

2—आभूषण (पीली धातु) के।

3—घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन।

<u>जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली कन्नौज</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख 25 हजार रूपये (कीमत) के 28 किलो अवैध गांजा**
- **15 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मारूति सुजकी कार बरामद**

दिनॉकः 17.01.2025 को थाना कन्नौज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ईदगाह से पनवारा रोड से 02 अभियुक्तों 1—देवेंद्र 2—बदन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख 25 हजार रूपये (कीमत) के 28 किलो अवैध गांजा, 15 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 मारूति सुजकी कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त देवेंद्र के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर, जनपद कानपुर देहात व कन्नौज के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कन्नौज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—देवेंद्र निवासी जोगनीपुर्वा थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज।

2—बदन निवासी मंगलीपुरवा रूदौली थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1—लगभग 03 लाख 25 हजार रूपये (कीमत) के 28 किलो अवैध गांजा।

2—15 हजार रूपये नगद।

3—02 मोबाइल फोन।

4—01 मारूति सुजकी कार।

- **जनपद हरदोई/थाना मल्लावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना मल्लावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/504 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—जन्मेजय 2—रजनीश 3—राजू को आजीवन कारावास व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जौनपुर थाना सरायख्वाजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 68 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सरायख्वाजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट सपठित धारा 376(iii)/363/366/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जयकेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 68 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर 6.77 कि0ग्रा0 चरस के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 18–01–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 तस्करों को 6.77 किलो ग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 30 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1– गणपत यादव पुत्र स्व0 दर्शन यादव निवासी भवानीपुर बाजार थाना नकरदेही जनपद मोतिहारी बिहार।

2– इसरार उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 मुख्तार अहमद निवासी शाहीनगर शुक्लगंज उन्नाव।

बरामदगी–

1– अवैध चरस 6.77 कि0ग्रा0 (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 30 लाख रूपये)

2– 02 अद्द मोबाइल

3– 700/रू0 नगद

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

रेलवे स्टेशन के पास अचलगंज थाना जनपद उन्नाव दिनांक 18–01–2025 समय करीब 12:30 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय तस्करो के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 18–01–2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बिहार से अवैध मादक पदार्थ (चरस) लेकर सड़क मार्ग से अचलगंज उन्नाव आने वाला है। इस सूचना पर उ0नि0 पवन कुमार सिंह के नेतृत्व

में एसटीएफ टीम द्वारा रेलवे स्टेषन अचलगंज के पास घेराबंदी कर 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त गणपत यादव ने बताया कि वह मोतिहारी (बिहार) में मजदूरी का काम करता है। उसे एक व्यक्ति मिला जो अपना नाम उजैर बताया। उजैर ने इससे कहा कि कानपुर उ0प्र0 में रहने वाले इसरार उर्फ गुड्डू के पास कुछ सामान (चरस) पहुॅचाना है। जिसके बदले प्रति चक्कर 5,000/रू0 मिलेगा। इसी लालच में आकर यह मोतिहारी से चरस की खेप लाकर उत्तर प्रदेष में सप्लाई करने लगा। इसके पूर्व में 05–06 बार इसरार उर्फ गुड्डू को चरस सप्लाई कर चुका है।

अभियुक्त इसरार उर्फ गुड्डू उपरोक्त ने बताया कि वह एनडीपीएस एक्ट में कानपुर जेल में बन्द था। इसी दौरान जेल में ही इसकी मुलाकात उजैर से हुई थी। जेल से छूटने के बाद उजैर ने इससे सम्पर्क किया और चरस तस्करी करने को कहा। इसके बाद यह उजैर से चरस की खेप मंगाकर उन्नाव एवं आस पास के जनपदों में सप्लाई करने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव में मु0अ0सं0 20/2025 धारा–8/20 (B)(C) एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———–